उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्याः946/IV(1)/2020-01(61)/15T.C.
देहरादूनः दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना
प्रकीर्ण

चूंकि राज्य सरकार के शहरी विकास अनुभग–1 की अधिसूचना संख्या–826/IV(1)/2020-1(61)/15टी0सी0, दिनांकितः09.11.2020 द्वारा उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था और उक्त अधिसूचना की प्रति पालिका केन्द्रीयित सेवा के समस्त कार्मिकों को उपलब्ध होने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले सभी संभावित कार्मिकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गये थे,

और चूंकि उक्त अधिसूचनाकी प्रति तथा उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 प्रारूप दिनांकः18.11.2020 को पालिका केन्द्रीयित सेवा के समस्त कार्मिकों को उपलब्ध करा दिया गया था;

और चूंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों के प्रारूप पर कार्मिकों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतएव, अब राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) की धारा 113 की उपधारा (2)के खण्ड (क) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा नियमावली 2019 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2019 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उपनियम (1)के खण्ड (क) तथा उपनियम (7) के खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क)	नगर आयुक्त नगर निगम श्रेणी –1 व 2 के पदों पर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती की जायेगी। नगर निगम श्रेणी–3 के अंतर्गत	नगर आयुक्त नगर निगम श्रेणी–1 व 2 के पदों पर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती की जायेगी। नगर निगम श्रेणी–3 के अंतर्गत 50 प्रतिशत पदों पर

	50 प्रतिशत पदों पर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों को तैनात/नियुक्त किया जायेगा। नगर निगम श्रेणी–3 के अंतर्गत नगर आयुक्त के 50 प्रतिशत पदों पर ऐसे स्थाई अपर नगर आयुक्त/संयुक्त निदेशक में से, जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों को तैनात/नियुक्त किया जायेगा। नगर निगम श्रेणी–3 के अंतर्गत नगर आयुक्त के 50 प्रतिशत पदों पर **केन्द्रीयित प्रशासी (प्रवर) सेवा** में कार्यरत् ऐसे स्थाई अपर नगर आयुक्त/संयुक्त निदेशक में से, जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(7)	(घ)वरिष्ठ सहायकों के शत–प्रतिशत पदों पर पदोन्नति पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के ऐसे स्थाई कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने मिनिस्ट्रीयल सेवा में सम्मिलित होने का विकल्प दिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता सूची के आधार पर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(7)(घ)–वरिष्ठ सहायकः पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के ऐसे स्थाई कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने मिनिस्ट्रीयल सेवा में सम्मिलित होने का विकल्प दिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; परन्तु, वरिष्ठ सहायक के वर्ष 2019 में Downgrade 14 प्रतिशत पदों के सापेक्ष नियुक्त ऐसे प्रधान लिपिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; परंतु, यह और कि प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्त कार्मिकों की वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के उपरांत उक्त Downgrade पद स्वतः ही वरिष्ठ सहायक के रूप में Upgrade हो जाएंगे।

नियम 8 का संशोधन — मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में से नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के खण्ड (i) के कमांक संख्या (6) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा , अर्थात्–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
8(6) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्थान से बी0कॉम उपाधि।	8(6)भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य से स्नातक उपाधि अथवा बी0बी0ए0 अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन एकाउण्टेंसी तथा हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिये।

नियम 14
का संशोधन

4. मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में से नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) जहां सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जानी है:– उत्तराखण्ड पालिका प्रशासी (प्रवर) सेवा के अन्तर्गत सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, श्रेणी–1 एवं उत्तराखण्ड पालिका प्रशासी (अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी:–	उत्तराखण्ड पालिका प्रशासी (प्रवर) सेवा के अन्तर्गत सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1, उत्तराखण्ड पालिका प्रशासी (अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (प्रवर) सेवा के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल), उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल), उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) लोक स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत सफाई निरीक्षक एवं उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के अन्तर्गत कर एवं राजस्व निरीक्षक के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी:–
(1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा। आवेदन पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगें।	(1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र विज्ञापन के रूप में प्रकाशित कर आमंत्रित किये जायेंगें। निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगें।
(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।	(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक की उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।
(3) लिखित/मुख्य परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात आयोग द्वारा नियम–6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणीयों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये लिखित/मुख्य परीक्षा के परीणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हो। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक में जोड़े जायेंगें।	(3) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों/विनियमों/दिशा–निर्देशों के क्रम में आयोग द्वारा राज्य सरकार/शासन के अनुमोदन से पाठयक्रम निर्धारित किया जायेगा।
(4) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित/मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त हुये कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनाएगा और नियुक्ति	(4) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य आरक्षित श्रेणीयों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के

के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा कुल अंक बराबर हो तो लिखित/मुख्य परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक, न्यूनतम एक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगें। उक्त सूची की वैधता एक वर्ष तक ही मान्य होगी। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणीः– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर निश्चित किये जायेंगें।

(5) अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थियों को मेरिट समान होने पर वरीयता दी जायेगी अर्थात् श्रेण्ठता क्रम में प्रथम स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी अधिमानी अर्हता धारित करते है, तब नियम 14(क)(4) में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी।

(ख) जहां सीधी भर्ती साक्षात्कार परीक्षा द्वारा की जानी है–उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (प्रवर) सेवा के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल), उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल), उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) लोक स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत सफाई निरीक्षक एवं उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के अन्तर्गत कर एवं राजस्व निरीक्षक के पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से साक्षात्कार परीक्षा द्वारा की जानी है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होंगी–

(1) चयन के लिए विचार करने हेतु आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन मंगाये जायेंगें। आवेदन–पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगें।

(2) नियम–6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अपेक्षित अर्हताएं पूरी करने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जितने वह अनुसार अंक प्राप्त किये हो प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगें।

आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनाएगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होते हैं तो संगत सेवा नियमावली में पद हेतु निर्धारित अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो) धारित अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(5) यदि समान अंक के दो या उससे अधिक अभ्यर्थी अधिमानी अर्हता में समानता रखते हैं तो लिखित परीक्षा (यदि कोई हो) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

यदि समान अंक के दो या दो से अधिक अभ्यर्थी अधिमानी अर्हता एवं लिखित परीक्षा में समानता रखते हों तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

यदि समान अंक के दो या दो से अधिक अभ्यर्थी अधिमानी अर्हता, लिखित परीक्षा एवं आयु में भी समानता रखते हों तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करते हुए पहले आने वाले नाम के अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

सूची के नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होंगें। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(ख)केन्द्रीयित पालिका सेवा के विभिन्न संवर्गों के समूह–ग के पद भी उक्त विधि द्वारा ही भरे जायेंगें किन्तु उनमें साक्षात्कार की प्रकिया नहीं अपनाई जाएंगी।

टिप्पणीः– (एक) यदि भर्ती हेतु विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हों, तो आयोग छंटनी के लिए सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्विमत्ता परीक्षा–वस्तुनिष्ठ प्रकार (General Studies & General Aptitude Test-Objective Type) की प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित कर सकता है।

(दो) जहॉ कोई प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायें, वहॉ केवल वही अभ्यर्थी, जो प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, यथास्थिति मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के हकदार होंगें। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना

उचित समझे।

(3) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके गुणानुक्रम के आधार पर क्रमांकित किये जायेंगें। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक, न्यूनतम एक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगें। उक्त सूची की वैधता एक वर्ष तक ही मान्य होगी। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(4) अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थियों को मेरिट समान होने पर वरीयता दी जायेगी अर्थात श्रेष्ठता क्रम में प्रथम स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी अधिमानी अर्हता धारित करते हैं तब नियम–14(ख)(3) में वर्णित प्रकिया के आधार पर प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी।

किसी भी दशा में अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए नहीं की जायेगी।

नियम 15 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित संशोधन**
उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत पालिका सहायक लेखाकार के 50 प्रतिशत प दों पर सीधी भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी। जहां सीधी भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जानी है–उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) लेखा सेवा के अन्तर्गत पालिका सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जानी है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–पालिका सहायक लेखाकार के पद पर चयन हेतु 100-100 अंकों के दो वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र होंगें, जिसमें से प्रथम प्रश्नपत्र मिनिस्ट्रीयल पदों के निर्धारित पाठ्क्रम तथा द्वितीय प्रश्नपत्र बी कॉम स्तर के पाठ्क्रम एवं कम्प्यूटर ओ लेवल के सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्क्रम पर आधारित होगा।	उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत पालिका सहायक लेखाकार के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी। उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) लेखा सेवा के अन्तर्गत पालिका सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जानी है जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगीः– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह–ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2019 के प्राविधानों के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

परिशिष्ट का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम परिशिष्ट 'क' के क्रम संख्या (7) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ 1 विद्यमान परिशिष्ट					स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट				
(7) पदनाम	स्थायी पदों की संख्या	श्रेणी	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती का स्त्रोत	पदनाम	स्थायी पदों की संख्या	श्रेणी	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती का स्त्रोत
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6	ख	9,300–34,800 ग्रेड वेतन–4,800/– (सातवें वेतनआयोग के अनुसार लेवल 47,600/–से 1,51,100/–)	पदोन्नति	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6	ख	9,300–34,800 ग्रेड वेतन–4,800/– (सातवें वेतनआयोग के अनुसार लेवल–8 47,600/–से 1,51,100/–)	पदोन्नति
प्रशासनिक अधिकारी	20	ख	9,300–34,800 ग्रेड वेतन–4,600/– (सातवें वेतनआयोग के अनुसार लेवल 44,900/–से 1,42,400/–)	पदोन्नति	प्रशासनिक अधिकारी	20	ख	9,300–34,800 ग्रेड वेतन–4,600/– (सातवें वेतनआयोग के अनुसार लेवल–7 44,900/–से 1,42,400/–)	पदोन्नति
प्रधान सहायक	52	ग	9,300–34,800ग्रेड वेतन–4,200/– (सातवें वेतनआयोग के अनुसार लेवल 35,400/–से 1,12,400/–)	पदोन्नति	प्रधान सहायक	52	ग	9,300–34,800ग्रेड वेतन–4,200/– (सातवें वेतनआयोग के अनुसार लेवल–6 35,400/–से 1,12,400/–)	पदोन्नति
वरिष्ठ सहायक	160	ग	5,200–20,200 ग्रेड वेतन 2,800/– (सातवें वेतनआयोग के अनुसार लेवल	पदोन्नति	वरिष्ठ सहायक	137	ग	5,200–20,200 ग्रेड वेतन 2,800/– (सातवें वेतनआयोग के अनुसार लेवल–5	पदोन्नति

			29,200/–से 92,300/–)					29,200/–से 92,300/–)	
					प्रधान लिपिक	23	ग	5,200–20,200 ग्रेड वेतन 2,400/– (सातवें वेतनआयोग के अनुसार लेवल–4 25,500/–से 81,100/–)	सीधी भर्ती

(शैलेश बगौली)
सचिव।